

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

## हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या—14 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन।

(i) उपधारा (4) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गी (ख) के लिए पंच के पद आरक्षित किए जाएंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गी (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चार पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गी (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गी (ख) से सम्बद्धित कम से कम एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है, और ऐसा वार्ड अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गी (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गी (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गी (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गी (ख) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी

जिससे पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस ग्राम पंचायत में कुल वार्डों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या**— इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त सभा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”;

(ii) उपधारा (7) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(7क) किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का पाँच प्रतिशत पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चार पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए और उप-धारा (7) के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (ख), जिसमें पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से इन ऑफ लॉट्स द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के लिए किसी खण्ड में इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, उस खण्ड में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस खण्ड में संरपच के पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित संरपच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या**— इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(4क) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों (ख) के लिए सदस्य के पद आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस खण्ड में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

परन्तु जहाँ पिछड़े वर्गों (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित पंचायत समिति के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस खण्ड में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या।-** इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"

4. मूल अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(4क) प्रत्येक जिला परिषद् में पिछड़े वर्गों (ख) के लिए सदस्य के पद आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (क) के लिए पहले से ही आरक्षित जिला परिषद् के उन वार्डों को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों (ख), जिनमें पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के आरक्षण हेतु प्रस्तावित जिला परिषद् के वार्डों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लाटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे:

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का संशोधन।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का संशोधन।

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के लिए इस प्रकार आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (ख) के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क), पिछड़े वर्गों (ख) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या**— इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (ख) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (ख) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (बी) के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन पिछड़े वर्गों के बांचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में मदद करेगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,  
विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 5 नवम्बर, 2024

डॉ० सतीश कुमार,  
सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नर्मेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

